



# सोनभद्र पुलिस



प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 07.10.2026

- नशे के सौदागरों के विरुद्ध सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई
- म्योरपुर पुलिस द्वारा NDPS Act के तहत मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त अभियुक्ता की ₹38.83 लाख की सम्पत्ति फ्रीज
- धारा 68F(2) NDPS Act के तहत मकान, बैंक खातों, मोटरसाइकिल एवं ट्रैक्टर पर लगाई गई रोक
- NDPS Act की धारा 68E एवं 68F के तहत जनपद सोनभद्र में अब तक 05 प्रकरणों में कुल ₹5.32 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **अभिषेक वर्मा** द्वारा अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) **श्री ऋषभ रुणवाल** के दिशा-निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी दुद्धी **श्री विनय प्रभाकर साहनी** के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष म्योरपुर द्वारा NDPS Act के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई की गई।

थाना म्योरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 40/2026 धारा 8/20/27A/29/60 NDPS Act से संबंधित **अभियुक्ता मीरा देवी उर्फ गुड़िया पत्नी जितेन्द्र नाथ उर्फ मुन्ना**, निवासी ग्राम कुण्डाडीह, टोला चन्द्रभान नगर, थाना म्योरपुर, जनपद सोनभद्र, हाल पता पूर्वी परासी, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र की सम्पत्तियों को धारा 68F(2) NDPS Act के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी/न्याय निर्णायक प्राधिकारी, SAFEMA/NDPS Act, नई दिल्ली के समक्ष दिनांक 01.10.2026 को फ्रीज कराया गया।

## फ्रीज की गई सम्पत्ति का विवरण—

1. प्लॉट नं0 1047 पर निर्मित मकान – कीमत ₹29,14,339
2. बैंक खाता नं0 46500100007376 – ₹25,463.52
3. बैंक खाता नं0 46500300004386 – ₹4,78,891
4. टीवीएस मोटरसाइकिल नं0 UP64AR9297 – कीमत ₹40,000
5. सोनालिका ट्रैक्टर नं0 UP64AR1634 – कीमत ₹4,25,000

(कुल फ्रीज की गई सम्पत्ति – ₹38,83,693.52 रुपये)

## अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 150/2022 – धारा 21/8 NDPS Act, थाना म्योरपुर, जनपद सोनभद्र।
2. मु0अ0सं0 57/2023 – धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना म्योरपुर, जनपद सोनभद्र।
3. मु0अ0सं0 40/2026 – धारा 8/20/27A/29/60 NDPS Act, थाना म्योरपुर, जनपद सोनभद्र।

4. मु0अ0सं0 53/2026 – धारा 21/29/8 NDPS Act, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

5. मु0अ0सं0 33/2017 – धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र।

जनपद सोनभद्र में अब तक कुल 05 प्रकरणों में ₹5 करोड़ 32 लाख 39 हजार 695.52 रुपये की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई है। इनमें थाना रॉबर्ट्सगंज के 02, थाना अनपरा के 01, थाना शक्तिनगर के 01 एवं थाना म्योरपुर के 01 प्रकरण शामिल हैं।

#### जब्त/फ्रीज की गई सम्पत्ति का विवरण—

##### 1. थाना रॉबर्ट्सगंज

कोडीनयुक्त कफ सिरप से संबंधित प्रकरण में ₹4 करोड़ 50 लाख 13 हजार 541 रुपये की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

##### 2. थाना अनपरा

हेरोइन से संबंधित प्रकरण में ₹26 लाख 62 हजार 165 रुपये की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

##### 3. थाना शक्तिनगर

संबंधित प्रकरण में ₹15 लाख 72 हजार 140 रुपये की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

##### 4. थाना रॉबर्ट्सगंज

अन्य हेरोइन प्रकरण में ₹1 लाख 08 हजार 156 रुपये की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

##### 5. थाना म्योरपुर

NDPS Act प्रकरण में ₹38 लाख 83 हजार 693.52 रुपये की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

सोनभद्र पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों एवं उनसे संबंधित सम्पत्तियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी है।